



2026:AHC-LKO:19582

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1836/2026

सुद्धि

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह, लखनऊ

.... विरोधी पक्षकार

आवेदकों के अधिवक्ता : सूर्यकांत सिंह, शुभम सिंह

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13**माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया**

1. प्रश्न किए जाने पर, श्री अरुण कुमार पांडे विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें इस मामले में पूर्ण निर्देश प्राप्त हैं और वे मामले के गुण-दोष के आधार पर बहस करने के लिए तैयार हैं। अतः न्यायालय ने जमानत याचिका पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई शुरू की।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दाखिल अनुपूरक हलफनामे , जिसमें आवेदक के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया गया है और जिस पर माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है, को अभिलेख पर लिया जाता है।

3. आवेदक के अधिवक्ता , उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी गई और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या - 0029/2026, धारा 74, 64(1), 115(2), 316(3) बी.एन.एस., थाना हारदी, जनपद बहराइच में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने करने हेतु प्रस्तुत किया गया है

5. इस आवेदन पर जोर देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्टतः है कि शिकायतकर्ता/पीड़ित द्वारा आवेदक को कथित रूप से दिए गए

20,000/- रुपये से उत्पन्न विवाद , जो पूर्णतः दीवानी प्रकृति का विवाद है, को दिनांक 30.01.2026 को पुलिस स्टेशन- हरदी, जिला- बहराइच में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0029/2026 दर्ज कराकर आपराधिक रंग दे दिया है, इस प्रवृत्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में अनुचित ठहराया है। , जिसमें दीपक गाबा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, आपराधिक अपील संख्या 2328/2022, दिनांक 02.01.2023 को निर्णीत; प्रो. आर.के. विजयसारथी और अन्य बनाम सुधा सीताराम और अन्य, दिनांक 15.02.2019 को निर्णीत विशेष अनुमति याचिका (Crl) संख्या 1434/2018 से उत्पन्न आपराधिक अपील संख्या 238/ 2019 ; दिनांक 06.02.2024 को आदेशित , ललित चतुर्वेदी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, SLP (Crl) संख्या 13485/2023, ; रणधीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 14 SCC 626; सैयद यासीर इब्राहिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(2022) 17 SCC 611; ऋखब बिरानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2025 SCC online SC 823; जय श्री बनाम राजस्थान राज्य, 2024 SCC online SC 54 और देबू सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [SLP (CrI) संख्या 3620 ऑफ 2025)] मामला भी शामिल है

6. आगे यह कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कहानी पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है, और यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता/पीड़ित 29.01.2025 को लगभग रात 8.00 बजे आवेदक के घर पहुंची और उससे 20,000 रुपये की मांग की, जिसके बाद आवेदक ने शिकायतकर्ता/पीड़ित के साथ छेड़छाड़ की। साथ ही, अन्वेषण के दौरान शिकायतकर्ता/पीड़ित द्वारा अभियोजन पक्ष की मूल कहानी को संशोधित करते हुए आवेदक के विरुद्ध ऐसे आरोप लगाए जो धारा 64(1) बीएनएस के अंतर्गत दर्शाए गए अपराधों को आकर्षित करते थे। जो धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता (अब निरस्त) के समतुल्य है। धारा 64(1) बीएनएस से संबंधित आरोपों के समर्थन में अभियोजन पक्ष के पास कोई चिकित्सा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि चिकित्सा-कानूनी जांच रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता/पीड़ित के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई और इस बात भी ध्यान रखने योग्य है कि संबंधित चिकित्सक यह राय नहीं दे सका कि यह यौन हिंसा/हमले का मामला है या नहीं

7. आगे यह कहा गया है कि मामले के उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा तथा अभियोजन पक्ष के गवाहों को भी प्रभावित नहीं करेगा।

8. माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि वे आवेदक के अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, आवेदक अधिवक्ता और माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलों, प्रथम सूचना रिपोर्ट, विवाद की प्रकृति, चिकित्सा राय और इस मामले में आवेदक के दोषी ठहराए जाने की संभावनाओं पर उचित विचार करने के बाद, न्यायालय पाता है कि वर्तमान आवेदक को **जमानत** दी जानी चाहिए। तदनुसार, जमानत दी जाती है।

10. आवेदक-**सुद्धि** को उपरोक्त मामले में 25,000/- के निजी मुचलके पर और समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार (एक परिवार का सदस्य/निकट संबंधी) जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-जमानत पर रिहा किया जाए।

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (vi) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vii) जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो आवेदक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(viii) आवेदक धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

11. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

12. चूंकि यह आदेश आवेदक को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी।

(न्यायमूर्ति सौरभ लावणिया)

18 मार्च, 2026

अरुण/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।